भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1267

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष बाजार

1267. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2022-23 में आयुष बाजार के आकार का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 तक आयुष बाजार के आकार में वर्ष-वार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा आयुष चिकित्सा को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): 2014-15 से 2022-23 तक आयुष बाजार के आकार के विश्लेषण के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, आयुष बाजार के आकार का डेटा 2014 से 2020 तक उपलब्ध है। अक्टूबर 2021 में, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) द्वारा "भारत में आयुष क्षेत्र: संभावनाएं और चुनौतियां" विषय पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें वर्ष 2014-2020 के दौरान बाज़ार आकार के आँकड़ों का अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, आयुष विनिर्माण क्षेत्र में 7 वर्षों में 6 गुना की तेज वृद्धि देखी गई है, जो 2014 में 2.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 18.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है (आरआईएस रिपोर्ट का पृष्ठ संख्या 02)। यह रिपोर्ट आरआईएस की वेबसाइट https://www.ris.org.in पर उपलब्ध है।

(ग): देश में आयुष औषधियों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं -

i. आयुष मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है और एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार देश में आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है-

क. मौजूदा आयुष औषधालयों और उप-केंद्रों को उन्नत करके आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन

ख. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं का सह-स्थापन

ग. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन

घ. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालयों (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण /नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण

ङ. 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना

च. सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति

छ. उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है

ज. आयुष स्नातक संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास

झ. आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना

ii. वर्ष 2021 में, आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना; आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित की है-

क. उच्च मानक प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।

ख. भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयू एंड एच औषधियों की भेषजसतर्कता।

ग. आयुष दवाओं के लिए तकनीकी मानव संसाधन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित केंद्रीय और राज्य नियामक ढांचे को मजबूत करना।

घ. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य प्रासंगिक वैज्ञानिक संस्थानों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों और सामग्रियों के मानकों और मान्यता/प्रमाणन के विकास के लिए समर्थन।

iii. मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष में सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) के संवर्धन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचना है। यह योजना राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेलों, योग फेस्ट/उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों आदि का आयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय आयुष पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मल्टी मीडिया, प्रिंट मीडिया अभियान भी चलाता है।

iv. आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ 12 राष्ट्रीय संस्थान और 05 अनुसंधान परिषदें भी आयुष चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, अनुसंधान और जन जागरूकता में लगी हुई हैं। इन संस्थानों की बाह्य रोगी और अंतः रोगी सेवाएं बड़े पैमाने पर जनता को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती हैं। आयुष मंत्रालय के तहत पांच अनुसंधान परिषदें अपने संबंधित आयुष चिकित्सा पद्धतियों में वैज्ञानिक तर्ज पर अनुसंधान के समन्वय, निरूपण, विकास और संवर्धन के एक सामान्य अधिदेश के साथ कार्य करती हैं। ये संस्थान/अनुसंधान परिषदें आम जनता के बीच स्वास्थ्य परिचर्या की आयुष पद्धतियों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए आरोग्य मेला, जागरूकता शिविर, उपचार शिविर, रेडियो एवं टीवी वार्ताएं, स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम (एसआरपी), अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) अनुसंधान कार्यक्रम, जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान कार्यक्रम (टीएचसीआरपी) जैसे आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं।

*****